


कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल अयोध्या।
पत्रांक ५३०१ / ग्रा०अ०वि० / पंजीकरण / श्रेणी (सी) / अयोध्या / 2018.19 / दिनांक 13/02/2019
पंजीकरण संख्या-63 / मार्ग(सी) श्रेणी / 2018.19

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

श्री राम सागर यादव पुत्र श्री राम रामरूप यादव निवासी ग्राम मांझा बरहटा जनपद अयोध्या को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी (सी) में चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता के आधार पर विभाग में ठेकेदारी करने हेतु दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह पंजीकरण ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल फैजाबाद के अन्तर्गत ही मान्य होगा। इसकी वैधता दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के लिये ही मान्य होगा। उसके पश्चात स्वतः समाप्त समझ जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात संबंधित ठेकेदार को नवीन चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


(सिराजुद्दीन अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समस्त अधिष्ठासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल अयोध्या।

2-संबंधित फर्म/ ठेकेदार।


3-अधिष्ठासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-~~अयोध्या~~ को इस निर्देश के साथ कि औरियन्टल बैंक आफ कामर्स जनपद अयोध्या द्वारा जारी टो०डी०आर० नं० 1348910/दिनांक 07.02.2019 द्वारा मु० 50,000.00 मूल रूप में संलग्न कर इस अण्य के साथ प्रेषित है कि उक्त का रखरखाव वित्तीय नियमों के अन्तर्गत करें तथा संबंधित बैंक से उक्त धनराशि का सत्यापन करावें तथा बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के इसे अवमुक्त न करें।

हैसियत की धनराशि का व्यौरा -

30,00,000.00




13/2/19


अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल अयोध्या।